न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
78 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	06.10.2020	30.09.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1—श्री शुभम अग्रवाल पुत्र श्री धर्मेन्द्र अग्रवाल विक्रेता मैसर्स धर्मेन्द्र किराणा स्टोर अजमेर रोड बस स्टैण्ड के पास लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी झालानियो का मोहल्ला लाम्बाहरिसिह तहसील मालपुरा जिला टोंक
2—श्री धर्मेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री शान्तिलाल जैन प्रोपरायटर मैसर्स धर्मेन्द्र किराणा स्टोर अजमेर रोड बस स्टैण्ड के पास लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक निवासी झालानियो का मोहल्ला लाम्बाहरिसिह तहसील मालपुरा जिला टोंक
3— मैसर्स धर्मेन्द्र किराणा स्टोर अजमेर रोड बस स्टैण्ड के पास लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (i1) एंव धारा 55 एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—
1—प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2—अप्रार्थी उपस्थित

दिनांक 30.09.2021

:—**निर्णय**—:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 08.08.2020 को समय 1.39 ए.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स धर्मेन्द्र किराणा स्टोर अजमेर रोड बस स्टैण्ड के पास लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से शुभम अग्रवाल पुत्र श्री धर्मेन्द्र अग्रवाल विक्रेता मैसर्स धर्मेन्द्र किराणा स्टोर अजमेर रोड बस स्टैण्ड के पास लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी झालानियो का मोहल्ला लाम्बाहरिसिह तहसील मालपुरा जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का प्रोपरायटर श्री [illegible] ल को होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:23:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे **रिफांइड सोयाबीन तेल आनन्द ब्राण्ड** (Refined Soyabean Oil Anand Brand)रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री शुभम अग्रवाल को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता शुभम अग्रवाल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान की रैंक मे 455–455 ग्राम के 19 बोतल **रिफांइड सोयाबीन तेल आनन्द ब्राण्ड** (Refined Soyabean Oil Anand Brand)रखे हुये मे से 4 बोतल का चयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री शुभम अग्रवाल को रू0 200/–अक्षरे दौ सौ रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **रिफांइड सोयाबीन तेल आनन्द ब्राण्ड (Refined Soyabean Oil Anand Brand)** 4 बोतल 455–455 ग्राम की बोतलो को ज्यो का त्यो खाकी कागज मे लपेटकर चार भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I–2562 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2562 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. शुभम अग्रवाल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर करखाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/3037 दिनांक 07.09.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1143/एक्ट/2020/1214 दिनांक 21.08.2020 अनुसार शुभम अग्रवाल से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **रिफांइड सोयाबीन तेल [illegible] ब्राण्ड (Refined Soyabean Oil Anand Brand)** खाद्य सुरक्षा [illegible] 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) [illegible] का होना पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:23:16 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का **रिफांइड सोयाबीन तेल आनन्द ब्राण्ड** (Refined Soyabean Oil Anand Brand)का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 एंव 3 उप0 तथा 1 की और से उनके प्रतिनिधि उप0 उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **रिफांइड सोयाबीन तेल आनन्द ब्राण्ड** (Refined Soyabean Oil Anand Brand)का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded)स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफांइड सोयाबीन तेल आनन्द ब्राण्ड** (Refined Soyabean Oil Anand Brand)का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री शुभम अग्रवाल पुत्र श्री धर्मेन्द्र अग्रवाल विक्रेता मैसर्स धर्मेन्द्र किराणा स्टोर अजमेर रोड बस स्टैण्ड के पास लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0 निवासी झालानियो का मोहल्ला लाम्बाहरिसिह तहसील मालपुरा जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) अप्रार्थी श्री धर्मेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री शान्तिलाल जैन प्रोपरायटर मैसर्स धर्मेन्द्र किराणा स्टोर अजमेर रोड बस स्टैण्ड के पास लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक निवासी झालानियो का मोहल्ला लाम्बाहरिसिह तहसील मालपुरा जिला टोंक पर शास्ति 10,000 (अक्षरे दस हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 30.09.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

30.9.21

(मुरारी लाल शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:23:16 IST
Reason: SelfAttested